

[2023] 2 एस.सी.आर. 511

योगेश उपाध्याय व अन्य

बनाम

अटलांटा लिमिटेड

(स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 526-527/2022)

21 फरवरी, 2023

[न्या. दिनेश माहेश्वरी एवं न्या. संजय कुमार]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138, 142(1) - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 - आपराधिक मामलों का हस्तांतरण - सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति - अभिनिर्धारित: धारा 142(1) में सर्वोपरि खंड के अध्यारोही, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति धारा 138 के तहत अपराधों के संबंध में अक्षुण्ण रहती है यदि यह न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन पाया जाता है - वर्तमान मामले में, क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा दायर छह शिकायत मामले (नई दिल्ली में द्वारका न्यायालय के समक्ष चार तथा नागपुर, महाराष्ट्र में न्यायालय के समक्ष दो) एक ही लेन-देन से संबंधित हैं, तो यह सलाह देना उचित होगा कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा इसके संबंध में विरोधाभासी निष्कर्षों की संभावना को दूर करने के लिए एक सामान्य निर्णय लिया जाए - नागपुर, महाराष्ट्र के न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले नई दिल्ली में द्वारका न्यायालयों में स्थानांतरित किए

गए - परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 142(2), 142-क।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138, 142(2)(क) - अभिनिर्धारित: धारा 142(2)(क) न्यायालय को किसी अपराध के लिए धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकारिता निहित करती है जहां चेक वसूली के लिए दिया जाता है, यानी बैंक की शाखा में एक खाते द्वारा जहां प्राप्तकर्ता या धारक नियत समय में एक खाता बनाए रखता है - परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015।

शब्द व वाक्यांश - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 142(2) - 'केवल उस न्यायालय द्वारा जांच और विचारण किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है ' - चर्चित।

स्थानांतरण याचिकाओं को अनुमति देते हुए,
न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 2015 के संशोधन अधिनियम 26 में उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 1881 के अधिनियम में धारा 142(2) व धारा 142-क को सम्मिलित करना दशरथ रूपसिंह राठौड़ मामले में इस न्यायालय के निर्णय का प्रत्यक्ष परिणाम था। इसलिए, अधिनियम 1881 की धारा 142 (2) में वाक्यांश का उपयोग: 'केवल ऐसे न्यायालय द्वारा जांच और विचारण किया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर' दशरथ रूपसिंह राठौड़ में निर्धारित निर्णय के विपरीत प्रासंगिक है, जिसके तहत 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का

विचारण करने की अधिकारिता उस न्यायालय में निहित है, जिसकी अधिकारिता में आहरणकर्ता बैंक है, न कि शिकायतकर्ता के बैंक पर जहां उसने चेक प्रस्तुत किया। धारा 142(2) अब यह स्पष्ट करती है कि इस तरह के अपराध विचारण की अधिकारिता केवल उस न्यायालय में निहित होगी जिसकी अधिकारिता में वह बैंक की शाखा स्थित है जहाँ नियत समय में आदाता या धारक के खाते के माध्यम से चेक वसूली के लिए वितरित किया गया था। नई शामिल की गई धारा 142-क संशोधन के बाद ऐसी अधिकारिता प्रदत्त न्यायालयों में लंबित मामलों के हस्तांतरण को मान्य करके इस स्थिति को और स्पष्ट करती है। [पैरा 11] [516-ई-एच]

*दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य
व अन्य (2014) 9 एससीसी 129 :
[2014] 11 एससीआर 921;*

*ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम
इंदरपाल सिंह (2016) 2 एससीसी 75 :
[2015] 14 एस. सी. आर. 153 -
अवलंबित।*

1.2 नागपुर के न्यायालयों के समक्ष पहले दो शिकायत मामलों का संस्थित होना अब प्राप्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई है। सर्वोपरि खंड मूल धारा 142 में ही था और इसे धारा 142(2) के साथ वर्ष 2015 में संशोधनों के माध्यम से सम्मिलित नहीं किया गया था। उक्त खंड में केवल उस तरीके का संदर्भ है जिसमें 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों में संज्ञान लिया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया से एक प्रस्थान किया जाना है क्योंकि उक्त

अपराध के लिए अभियोजन चेक के अनादरित होने पर अपराध के पूर्ण होने के बावजूद स्थगित हो जाता है और यह अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में होना चाहिए। इसलिए, खंड को संदर्भ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए और इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है और यह इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों की तुलना में अपवर्जित होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को स्थानांतरित करने की इस न्यायालय की शक्ति को 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों के संबंध में निरस्त नहीं किया जाता है। इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत शक्ति का प्रयोग किया, उस समय भी जब मूल खंड 142 ने मामला अभिनिर्धारित किया था। इसलिए, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि, 1881 के अधिनियम की धारा 142(1) में सर्वोपरि खंड के अध्यारोही, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने की इस न्यायालय की शक्ति बरकरार है, अगर यह न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन पाई जाती है। वर्तमान मामले में, चूंकि छह शिकायत मामले एक ही लेन-देन से संबंधित हैं, इसलिए यह सलाह दी जाएगी कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा इसके संबंध में विरोधाभासी निष्कर्ष दिए जाने की संभावना को दूर करने के लिए एक सामान्य न्यायनिर्णयन किया जाए। चूंकि छह में से चार मामले प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा नई दिल्ली स्थित द्वारका न्यायालय के समक्ष दायर किए गए हैं और ऐसे केवल दो मामले

नागपुर, महाराष्ट्र में न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, इसलिए यह सुविधाजनक और पक्षकारों और उनके गवाहों सहित सभी संबंधित लोगों के हित में होगा कि मामलों को नई दिल्ली स्थित द्वारका न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। [पैरा 13,14] [517-सी-एच; 518-ए]

*के. भास्करन बनाम शंकरन वैद्यान बालन
व अन्य (1999) 7 एससीसी 510 :
[1999] 3 पूरक एससीआर 271;*

*ए. ई. प्रेमानंद बनाम एस्कॉर्ट्स फाइनेंस
लिमिटेड व अन्य (2004) 13 एससीसी
527 - अवलंबित।*

निर्णयज विधि संदर्भ

[1999] 3 पूरक एससीआर 271 अवलंबित पैरा 6

[2014] 11 एससीआर 921 अवलंबित पैरा 7,11,12

[2015] 14 एससीआर 153 अवलंबित पैरा 12

(2004) 13 एससीसी 527 अवलंबित पैरा 13

आपराधिक मूल अधिकारिता : स्थानांतरण याचिका
(आपराधिक) सं. 526-527/2022

मामला सं. एससीसी / 25668 / 2019 व मामला सं.
एससीसी / 26875 / 2019 के स्थानांतरण की मांग करने
वाली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत
स्थानांतरण याचिका।

राजमंगल कुमार, सत्येंद्र कुमार, सुश्री प्रीजा नायर,
अली मुश्ताक नवाज़ीश, राजीव सिंह, याचीगण हेतु
अधिवक्तागण।

चिराग एम. श्रॉफ, प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

न्यायमूर्ति संजय कुमार

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत दायर इन स्थानांतरण याचिकाओं के माध्यम से, योगेश उपाध्याय और उनकी सांपत्तिक कंपनी मैसर्स शक्ति बिल्डकॉन ने एससीसी सं. 25668/2019 व 26875/2019 को स्थानांतरित करने की मांग की, जिसका शीर्षक 'अटलांटा लिमिटेड बनाम मैसर्स शक्ति बिल्डकॉन व अन्य' है, जो 22 वें संयुक्त सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, नागपुर एवं विद्वान 20 वें सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, नागपुर, क्रमशः के समक्ष लंबित को दक्षिण पश्चिम जिला न्यायालय, द्वारका, नई दिल्ली में शिकायत मामला सं. 42489/2019, 1464/2020, 7596/2020 व 4094/2020 के साथ विचारण किया जाएगा, जिन सभी का शीर्षक 'अटलांटा लिमिटेड बनाम योगेश उपाध्याय' है। याचीगण के खिलाफ ये छह शिकायत मामले अटलांटा लिमिटेड, प्रत्यर्थी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 और व [संक्षेप में, '1881 का अधिनियम') के तहत दायर किए गए थे।

2. छह चेक, जो इन शिकायत मामलों के विषयवस्तु हैं, याचीगण द्वारा दिनांक 04.06.2019 के समझौते के तहत प्रत्यर्थी कंपनी से नावा-निर्मित क्रशर संयंत्र की खरीद के संबंध में रु.1,88,80,000/- के लिए जारी किए गए थे। इस बिक्री प्रतिफल का भुगतान चेक के माध्यम से सात किश्तों में किया जाना था। रु.11,80,000/- 'की राशि के लिए याचीगण द्वारा जारी किया गया पहला चेक प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुति पर विधिवत आदर हुआ था। हालांकि, शेष छह चेक 'भुगतान रोकें' निर्देशों के आधार पर अनादृत हुए थे। अनादृत होने वाले पहले दो चेक प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में अपने बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। पहले दो शिकायत मामले तदनुसार नागपुर, महाराष्ट्र न्यायालय के समक्ष दायर किए गए थे। इसके बाद शेष चार चेक प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा नई दिल्ली में अपने बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथा परिणामस्वरूप, उन शिकायत मामलों को द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष दायर किया गया।

3. याचीगण की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री राजमंगल कुमार ने तर्क दिया कि चूंकि

सभी चेक एक ही लेनदेन से संबंधित हैं, इसलिए यह उचित व उपयुक्त होगा कि उनके अनादृत होने से संबंधित मामलों का विचारण तथा एक साथ निर्णीत किया जाए। वह अपने प्रतिविरोध का समर्थन करने के लिए निर्णयज विधि का अवलंब लेंगे।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी कंपनी के विद्वान अधिवक्ता, श्री चिराग एम. श्राँफ, तर्क देंगे कि 1881 के अधिनियम की धारा 142 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के अध्यारोही होगी, इसमें निहित सर्वोपरि खंड को देखते हुए और कि नागपुर, महाराष्ट्र में दायर किए गए दो मामलों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वह इस बात पर जोर देंगे कि 1881 के अधिनियम की धारा 142(2) जहां तक पहले दो शिकायत मामलों का संबंध है, नागपुर के न्यायालयों को अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। वह भी निर्णयज विधि पर भरोसा रखेंगे।

5. अब यह सुस्थापित हो गया है कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध चेक के अनादृत पर पूर्ण होता है, लेकिन इस तरह के अपराध के

संबंध में अभियोजन, उसमें निहित प्रावधानों के आधार पर, तब तक स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि चेक का आहर्ता मांग नोटिस प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल न हो जाए। हालांकि, इस अपराध पर विचारण करने का अधिकार क्षेत्र लंबे समय तक एक परेशानी भरा मुद्दा बना रहा।

6. *के. भास्करन बनाम शंकरन वैदयान बालन व अन्य [(1999) 7 एस. सी. सी. 510]* के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के पांच घटक हैं: (1) चेक आहरण करना, (2) बैंक को चेक प्रस्तुत करना, (3) अदाकर्ता बैंक द्वारा भुगतान नहीं किए गए चेक को वापस करना, (4) चेक राशि के भुगतान की मांग करते हुए चेक के आहरणकर्ता को लिखित रूप में नोटिस देना, तथा (5) नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में आहरणकर्ता की विफलता। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि क्षेत्रीय सीमाओं पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय, जिनमें अपराध के घटकों का गठन करने वाले पांच कार्यों में से कोई भी कार्य हुआ है, को मामले से

निपटने का अधिकार होगा तथा यदि पांच कार्य पांच अलग-अलग क्षेत्रों में किए गए थे, तो उन पांच क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालयों में से किसी की भी अधिकारिता होगी और शिकायतकर्ता उन न्यायालयों में से किसी एक का चयन कर सकता है।

7. इसके बाद, **दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य [(2014) 9 एससीसी 129]** मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि केवल अदाकर्ता बैंक द्वारा चेक की वापसी ही 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का गठन करेगी और उस स्थान को इंगित करेगी जहां अपराध किया गया है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायिक जांच और अपराध के विचारण का स्थान, जगह या स्थल को तार्किक रूप से उस स्थान तक सीमित किया जाना चाहिए जहां अदाकर्ता बैंक स्थित है, यानी जहां चेक प्रस्तुत करने पर अनादृत हुआ है, न कि जहां शिकायतकर्ता का बैंक स्थित है।

8. इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि 'अपराधों का संज्ञान' शीर्षक वाले 1881 के अधिनियम की

धारा 142 में यह प्रावधान किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ भी निहित होने के अध्यारोही, कोई भी न्यायालय धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय प्राप्तकर्ता द्वारा लिखित में की गई शिकायत के या, जैसा भी मामला हो, चेक के नियत समय में धारक; ऐसी शिकायत उस तारीख से एक महीने के भीतर की जाए जिस पर धारा 138 के परन्तुक के खंड (ग) के तहत वाद हेतुक उद्भूत होता है; और महानगर दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी से निम्न कोई भी न्यायालय धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का विचारण नहीं करेगी।

9. गौरतलब है कि 1881 के अधिनियम की उपरोक्त मूल धारा 142 को धारा 142(1) के रूप में पुनः संख्यांकित गया था जब परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम 26) द्वारा 1881 के अधिनियम में संशोधन किए गए थे। इसके अतिरिक्त, धारा 142-क के साथ वैधानिक पुस्तक में धारा 142(2) को शामिल किया गया था। नई सम्मिलित धारा 142(2), जहां तक प्रासंगिक है, उल्लिखित करती है कि

धारा 138 के तहत अपराध की जांच एवं विचारण केवल एक ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर - (क) यदि चेक किसी खाते के माध्यम से वसूली के लिए वितरित किया जाता है, तो बैंक की शाखा जहां आदाता या धारक, जैसा भी मामला हो, खाता बनाए रखता है, स्थित है।

10. यह वैधानिक योजना होने के कारण, विद्वान अधिवक्ता श्री चिराग एम. श्रॉफ द्वारा इन शब्दों पर जोर दिया गया है: 'केवल उस न्यायालय द्वारा जांच या विचारण किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ...' धारा 142(2) में यह तर्क दिया गया है कि नागपुर के न्यायालयों को प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा नागपुर में अपने बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए अनादृत चेक के संबंध में अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

11. 2015 के संशोधन अधिनियम 26 में उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 1881 के अधिनियम में धारा 142(2) व धारा 142-क को सम्मिलित करना **दशरथ रूपसिंह राठौड़ (ऊपर)** में इस न्यायालय के निर्णय का प्रत्यक्ष परिणाम था।

इसलिए, इसके विपरीत अधिनियम 1881 की धारा 142(2) में उल्लिखित वाक्यांश का उपयोग : 'जांच एवं विचारण केवल उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर' *दशरथ रूपसिंह राठौड़ (ऊपर)* में अधिकथित निर्णय के संदर्भ में प्रासंगिक है, जिसके द्वारा 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी अपराध पर विचारण करने की क्षेत्रीय अधिकारिता उस न्यायालय में निहित है, जो शिकायतकर्ता के बैंक पर अधिकारिता रखता है, न कि शिकायतकर्ता के बैंक में जहां उसने चेक प्रस्तुत किया था। धारा 142(2) अब यह स्पष्ट करती है कि इस तरह के अपराध पर विचारण करने की अधिकारिता केवल उस न्यायालय में निहित होगी जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक की वह शाखा स्थित है जहां चेक नियत समय पर प्राप्तकर्ता या धारक के खाते द्वारा वसूली के लिए प्रस्तुत किया गया था। नव सम्मिलित धारा 142-क संशोधन के बाद ऐसी अधिकारिता प्राप्त न्यायालयों में लंबित मामलों के हस्तांतरण को मान्य करके इस स्थिति को और स्पष्ट करती है।

12. *ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंद्रपाल सिंह [(2016) 2 एससीसी 75]* में इस न्यायालय के बाद के निर्णय ने 1881 के अधिनियम के संशोधन के बाद प्राप्त विधिक स्थिति की पुष्टि की एवं इस बात का समर्थन किया कि 1881 के अधिनियम की धारा 142(2)(क) उस न्यायालय में धारा 138 के तहत एक अपराध हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने की अधिकारिता निहित करती है जहां चेक वसूली के लिए प्रस्तुत किया गया है, यानी बैंक की शाखा में एक खाते द्वारा जहां प्राप्तकर्ता या धारक नियत समय में एक खाता रखता है। इस न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि जहां तक 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारिता का संबंध है, *दशरथ रूपसिंह राठौड़ (ऊपर)* कंपनी के दावे को खारिज नहीं करेगा।

13. इसलिए, नागपुर में न्यायालयों के समक्ष पहले दो शिकायत मामलों का संस्थित का संस्थित होना वर्तमान में प्राप्त विधिक स्थिति के अनुसार है। हालांकि, यह तर्क कि 1881 के अधिनियम की धारा 142(1) में सर्वोपरि खंड दं.प्र.सं. की धारा 406 के अध्यारोही होगा

तथा इस न्यायालय के लिए इसके तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त शिकायत मामलों को स्थानांतरित करना अनुमेय नहीं होने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सर्वोपरि खंड मूल धारा 142 में ही था और वर्ष 2015 में धारा 142(2) के साथ संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त खंड में केवल 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों में संज्ञान लेने के तरीके का संदर्भ दिया गया है, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया से प्रस्थान किया जाना चाहिए क्योंकि उक्त अपराध के लिए अभियोजन को तब तक स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि चेक के अनादृत होने पर अपराध पूर्ण हो जाता है और यह आवश्यक रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। इसलिए, खंड को संदर्भ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए और जिस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है और यह इस व्याख्या को जन्म नहीं देता है कि दं.प्र.सं. की धारा 406 को 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों की तुलना में अपवर्जित माना जाएगा। दं.प्र.सं. की धारा 406 के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को स्थानांतरित करने की इस न्यायालय की शक्ति को 1881

के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों के संबंध में निरस्त नहीं किया जाता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 406 के तहत शक्ति का प्रयोग किया, उस समय भी जब मूल धारा 142 ने क्षेत्र धारण किया हुआ था। *ए. ई. प्रेमानंद बनाम एस्कॉर्ट्स फाइनेंस लिमिटेड व अन्य [(2004) 13 एससीसी 527]* मामले में, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत इसमें अपराध एक ही लेनदेन से उद्भूत हुए थे और यह उचित और न्यायहित में पाया गया कि ऐसे सभी मामलों का विचारण एक न्यायालय में किया जाना चाहिए। इसलिए, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि, 1881 के अधिनियम की धारा 142(1) में सर्वोपरि खंड के अध्यारोही, दं.प्र.सं. की धारा 406 के तहत आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने की इस न्यायालय की शक्ति 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों के संबंध में अक्षुण्ण है, अगर यह न्याय हित हेतु समीचीन पाया जाता है।

14. वर्तमान मामले में, चूंकि छह शिकायत मामले एक ही लेन-देन से संबंधित हैं, इसलिए विभिन्न न्यायालयों द्वारा इसके संबंध में परस्पर विरोधाभासी निर्णय दिए जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए एक सामान्य न्यायनिर्णयन करना उचित होगा। चूंकि प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा नई दिल्ली में द्वारका न्यायालयों के समक्ष छह में से चार मामले दायर किए गए हैं और ऐसे केवल दो मामले नागपुर, महाराष्ट्र में न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, इसलिए यह सुविधाजनक होगा और पक्षकारों और उनके गवाहों सहित सभी संबंधितों के हित में होगा कि मामलों को नई दिल्ली स्थित द्वारका न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।

15. तदनुसार स्थानांतरण याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है तथा एससीसी सं. 25668/2019 व 26875/2019, दोनों का शीर्षक 'अटलांटा लिमिटेड बनाम मैसर्स शक्ति बिल्डकॉन व अन्य' है, जो विद्वान 22 वें संयुक्त सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, नागपुर की फाइलों पर लंबित है; एवं विद्वान 20 वें सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, नागपुर, को क्रमशः दक्षिण

पश्चिम जिला न्यायालय, द्वारका, नई दिल्ली में
स्थानांतरित किया जाता है, जिस पर शिकायत मामला सं.
42489/2019, 1464/2020, 7596/2020 व 4094/2020
के साथ विचारण किया जाएगा।

स्थानांतरण याचिकाओं को अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे

(सहायक: शिवानी पुंडिर एवं रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।